न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी :– शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.), उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

अपील संख्या 02/2022

उनवान

श्रीमती मोनिका सिंह बनाम ग्राम पंचायत माखर

श्रीमती मोनिका सिंह उम्र 40 वर्ष पत्नी श्री पृथ्वीसिंह राव जाति जाट निवारी घरड़ाना खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

–अपीलान्ट

बनाम

ग्राम पंचायत माखर जिला झुन्झुनू जरिये सरपंच।

–रेस्पोडेन्टस

उपस्थित अधिवक्ताः–

1. श्री मो रफीक, :– 'अपीलान्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम
अपील बखिलाफ आदेश दिनांक 06.08.2021
नामान्तरकरण संख्या 627

दिनांकः– 20-06-2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ने एक भूमि नया खाता नम्बर 92 खसरा नम्बर 335 रकबा 1.0100 हैक्टर व नया खाता संख्या 93 में स्थित भूमि ख.नं. 334 रकबा 1.0100 हैक्टर भूमि जो कि पूर्व में राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार श्रीमर्त पसमा देवी पत्नी भंवरलाल जाति बंजारा के 2/3 हक हिस्से को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 07.07.2021 को क्रय किया था। विक्रय पत्र उपपंजीयक कार्यालय झुन्झुनूं में दिनांक 07.07.2021 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 637 में पृष्ठ संख्या 3 पर पंजीबद्ध किया गया था। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 07.07.2021 को भूमि ख.नं. 335 रकबा 1.0100 हैक्टर व खसरा नम्बर 334 रकबा 1.0100 हैक्टर भूमि में से 2/3 सम्पूर्ण हिस्सा क्रय किया था दिनांक 07.07.2021 को विक्रय पत्र तस्दीक करवाने के पश्चात अपीलान्ट ने विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु हल्का पटवारी को विक्रय पत्र की छांयाप्रति प्रस्तुत की। जिस पर पटवारी हल्का माखर ने नामान्तरकरण संख्या 627 दर्ज करते हुए नामान्तरकरण दिनांक 06.08.2021 को खोला। नामान्तरकरण प्रपत्र में पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष उक्त खसरा नम्बरान की भूमि के संबध में रेफरेन्स विचाराधीन है। श्रीमान तहसीलदार महोदय, झुन्झुनूं ने खातेदारी निरस्त करने हेतु रेफरेन्स भेज रखा है। अतः नामान्तरकरण खारिज होने योग्य है। इसी प्रकार भू–अभिलेख निरीक्षक ने भी अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार भूमि की खातेदारी निरस्त करने हेतु रेफरेन्स भेजे हुए है इसलिए नामान्तरकरण खारिज होने योग्य है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने नामान्तरकरण संख्या 627 दिनांक 06.08.2021 को खारिज कर दिया। ग्राम पंचायत माखर का आदेश विधि के विपरीत होने से

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

खारिज होने योग्य है। कानून से यदि भूमि पर किसी प्रकार का विवाद अथवा भूमि के संबध मे कोई प्रकरण विचाराधीन है तो भूमि के संबध मे खोले गये नामान्तरकरण को प्रक्रियाधीन मानकर लम्बित रखा जाता है, नामान्तरकरण को खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में नामान्तरकरण को खारिज करने की अनुशंषा की है जो विधि के विरूद्ध है। ग्राम पंचायत माखर के सरपंच द्वारा दिनांक 06.08.2021 को नामान्तरकरण को खारिज कर दिया। ग्राम पंचायत के सरपंच ने नामान्तरकरण खारिज करने से पूर्व नामान्तरकरण प्रपत्र में अपनी कोई टिपाणी नहीं की। इस प्रकार ग्राम पंचायत माखर द्वारा गलत रूप से बिना किसी जांच के नामान्तरकरण को खारिज किया है इसलिए ग्राम पंचायत माखर का अपीलाधीन आदेश खारिज होने योग्य है। विक्रय पत्र दिनांक 06.07.2021 के अनुशरण मे नामान्तरकरण भरने हेतु पटवारी हल्का को विक्रय पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 627 दिनांक 13.07.2021 खोला गया। नामान्तरकरण के संबध मे पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि खसरा नम्बर 334 रकबा 1.01 हैक्टर व खसरा नम्बर 335 रकबा 1.01 हैक्टर के संबध मे तहसीलदार झुन्झुनू के द्वारा रेफरेन्स भेजा हुआ है। रेफरेन्स विचाराधीन होने के कारण नामान्तरकरण खारिज होने योग्य है। खसरा नम्बर 334 के सम्बन्ध में कोई रेफरेन्स विचाराधीन नही था केवल मात्र खसरा नम्बर 335 के सम्बन्ध में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, झुन्झुनू के समक्ष एक रेफरेन्स संख्या 17/2019 प्रस्तुत हुआ था जिसका निर्णय दिनांक 22.02.2021 को हो चुका है जिसमें श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, झुन्झुनू ने दिनांक 22.02.2021 को रेफरेन्स खारिज फरमा दिया। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, झुन्झुनू के समक्ष विचाराधीन रेफरेन्स दिनांक 22.02.2021 को खारिज होने के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 627 दिनांक 13.07.2021 को खोला गया जिस पर पटवारी ने दिनांक 13.07.2021 व भू–अभिलेख निरीक्षक ने 22.07.2021 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। श्रीमान के द्वारा रेफरेन्स संख्या 17/2019 के निर्णय दिनांक 22.02.2021 के करीब 5 माह बाद नामान्तरकरण संख्या 627 खोला गया जिसको ग्राम पंचायत माखर के सरपंच ने दिनांक 06.08.2021 को खारिज किया इस प्रकार पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक के द्वारा गलत रिपोर्ट का अंकन किया गया एवं सरपंच ग्राम पंचायत माखर के द्वारा भी बिना जांच किये ही दिनांक 06.08.2021 को नामान्तरकरण को खारिज कर दिया जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि भूमि के संबध में विचाराधीन रेफरेन्स 17/2019 का निर्णय 22.02.2021 को होने के पश्चात भी पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक ने गलत रिपोर्ट करते हुए अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने की नियत से रिपोर्ट की है एवं इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विधि के विपरीत जाकर जानबूझकर नामान्तरकरण संख्या 627 दिनांक 06.08.2021 को खारिज किया है। इसलिये आदेश जेर बहस निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट को जानकारी खारिज होने की जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट ने जब राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तब प्रार्थी को जानकारी हुई कि राजस्व रिकार्ड में उसके नाम से खातेदारी नहीं आ रही है तब अपीलान्ट ने पटवारी हल्का से नामान्तरकरण के संबध में जानकारी चाही तब पटवारी हल्का ने बताया कि आपका नामान्तरकरण खारिज हो गया है तब अपीलान्ट ने दिनांक 02.03.2022 को नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की। नकल प्राप्त करने के रोज से अपील अन्दर मियाद पेश है फिर भी कोई कानूनी नुकस ना रहे इसके लिए दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।

विवेचन

उक्तानुसार अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस वास्ते जवाब देही तलब किया गया। रस्पोडेन्ट की तामिल सम्यक रूप से होने के उपरान्त न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। तहसीलदार झुन्झुनू से मूल नामान्तकरण संख्या 627 की

मूल परत तलब की गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं नामान्तकरण संख्या 627 दिनांक 06.08.2021 का अवलोकन किया गया। प्रकरण में बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि नामान्तकरण संख्या 627 उक्त भूमि नदी नाला की होने से खातेदारी निरस्त करने हेतु रेफरेन्स भेजे जाने बाबत नोट लगाया जाकर नामान्तकरण खारिज किया गया है। तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा उक्त प्रकरण बाबत रेफरेन्स बनाकर माननीय न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू के यहां प्रेषित किये गये थे। माननीय न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू में प्रकरण संख्या 17/2019 उनवानी परमा पत्नी भंवरलाल बनाम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 82 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश करने पर माननीय न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू के आदेश दिनांक 22.02.2021 को उक्त रेफरेन्स खारिज किया गया है कि " प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रेफरेन्स खारिज किया जाता है तथा आदेश की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि वह मौके की विस्तृत जांच करे तथा जिलाधीश झुन्झुनू के आदेश दिनांक 10.06.1967 के परिपेक्ष्य में प्रकरण को पुनः निरीक्षण करें तत्पश्चात यदि रेफरेन्स का प्रकरण बनता है तो प्रार्थी पुनः प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।" नामान्तकरण संख्या 627 दिनांक 13.07.2021 बाबत किया गया रेफरेन्स पूर्व में ही दिनांक 22.02.2021 को खारिज किया जा चुका है, जबकि नामान्तकरण पर पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा नदी नाला के संबध नामान्तकरण खारिज किये जाने का नोट अंकित किये जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तकरण दिनांक 06.08.2021 को खारिज किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, माननीय न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू के आदेश दिनांक 22.02.2021 का अवलोकन किया जाकर बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। उक्त तथ्यों के अनुसार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम अपील बखिलाफ आदेश दिनांक 06.08.2021 नामान्तरकरण संख्या 627 दिनांक 06.08.2021 खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

निर्णय

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत ग्राम पंचायत माखर द्वारा नामान्तकरण संख्या 627 के संबध में पारित आदेश दिनांक 06.08.2021 खारिज करने का निर्णय लिया जाता है। तहसीलदार झुन्झुनू को निर्णय की प्रति मय नामान्तकरण परत इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि वह सभी पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधिक प्रकिया अपनाते हुए पुनः नामान्तकरण के निर्णय की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 20-06-2022 को मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू